जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त का न्यायालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

अधिहरण वाद सं0–78/2015–16
धारा– 6A आवश्यक वस्तु अधिनियम
राज्य–बनाम–पिकऑप भेन सं0 JH05 AR-9682 के चालक, मालिक एवं (4) अन्य

आदेश

इस वाद की कार्यवाही जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के पत्रांक–49/आ0 दिनांक–28.01.2016 के साथ अनुमण्डल पदाधिकारी, धालभूम, जमशेदपुर से प्राप्त पत्रांक–12/आ0 दिनांक–11.01.2016 एवं तत्संलग्नित सहाबुद्दीन मंसुरी, प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, पोटका प्रखण्ड द्वारा दर्ज प्राथमिकी कोवाली थाना कांड सं0–36/15, दिनांक–08.10.2015 एवं जप्ती सूची के आधार पर जप्त सामग्रियों को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा–6A के अन्तर्गत अधिहरण हेतु दिनांक–31.03.2016 को प्रारंभ करते हुए विपक्षियों को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा–6(b) के तहत कारणपृच्छा दायर करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया।

विपक्षी सं0–1, पिकऑप भेन सं0–JH05 AR-9682 के चालक उक्त निर्गत नोटिस के अनुपालन में न तो न्यायालय में उपस्थित हुए और न ही उनके द्वारा कारणपृच्छा दायर किया गया।

विपक्षी सं0–2, पिकऑप भेन सं0–JH05 AR-9682 के मालिक की ओर से Rathindra Nath Mandal द्वारा दिनांक–26.04.2016 को कारणपृच्छा दायर करते हुए प्रश्नगत अधिहरण कार्यवाही को नियमानुसार ग्रहणयोग्य नहीं है, बताया गया है। उन्होंने अपने कारणपृच्छा में कोवाली थाना कांड सं0–36/15 दिनांक–08.10.15 u/s 7E.C. Act से संबंधित एक ही घटना के लिए G.R. Case No. 3317/15 प्रारंभ करने का उल्लेख किया गया है, तथा सुनवाई के पश्चात Learned S.D.J.M. द्वारा उक्त पिकऑप भेन सं0 JH05 AR-9682 एवं जप्त चावल को release कर दिये जाने तथा Prosecution द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध कोई अपील दायर नही किये जाने का उल्लेख किया गया है। विपक्षी सं0–2 द्वारा समर्पित कारणपृच्छा में अपने को मात्र एक transporter and carriers on transport business बताया गया है। उनका यह भी कहना है कि चूँकि SDJM, Jamshedpur के न्यायालय द्वारा उक्त गाड़ी एवं चालक बोरा को मुक्त कर दायर दिया गया है अतः उनके द्वारा प्रस्तुत कारणपृच्छा को स्वीकार करते हुए वाद की कार्यवाई को समाप्त किया जाय। परन्तु उनके द्वारा उक्त पारित आदेश का अभिप्रमाणित प्रति प्रस्तुत नहीं किया गया है।

विपक्षी सं0–3 से 5 मारांगबुरू महिला समिति जन वितरण प्रणाली दुकान अनुज्ञप्ति संख्या–03/12 के अध्यक्ष श्रीमति सुन्दरी सरदार, सचिव श्री सुमिता सरदार एवं उपाध्यक्ष श्रीमति सरोला सरदार के द्वारा दिनांक–10.05.2016 को अपना कारणपृच्छा दायर करते हुए यह बताया गया चूँकि उपरोक्त विपक्षियों द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है अतः प्रश्नगत कार्यवाही ग्रहणयोग्य नहीं है। उन्होंने अपने कारणपृच्छा में यह भी उल्लेख किया है कि चूँकि B.D.O. उक्त 46 बोरा चावल का Search & seize करने का Legal authority नही है और चूँकि देश में अभी अनाज की कमी नही होने के कारण धारा–3 आवश्यक वस्तु अधिनियम की आदेश आधिकारिक

रूप से रदद हो चुका है अतः समर्पित कारणपृच्छा को स्वीकृत करते हुए कार्यवाही को निरस्त किया जाय।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी का पत्रांक–49/आ0 दिनांक–28.01.2016 के साथ कोवाली थाना काण्ड सं0–36/15 दिनांक–08.10.2015 एवं अन्य सभी कागजातों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि श्री सहाबुद्दीन मंसुरी, प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, पोटका को श्री रामजीवन सरदार, पे0 स्व0 भुजंग सरदार, ग्राम–हितवासा, थाना–कोवाली से प्राप्त दूरभाष सूचना के आधार पर जब प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, पोटका के ग्राम तेंतला गये तब उन्होंने देखा कि तेंतला गॉव के टोला–सेकरेगोड़ा के कच्ची सड़क पर एक पिकऑप भेन संख्या– JH05 AR-9682 खड़ी है तथा उक्त भेन पर 46 प्लास्टिक बोरा में करीब पचास–पचास किलो चावल लदा हुआ है। तेंतला ग्राम के ग्राम प्रधान शिवचरण हॉसदा, पे0–स्व0 विजय हांसदा, ग्राम तेतला, थाना–कोवाली, जिला –पूर्वी सिंहभूम द्वारा बताया गया कि यह चावल मारांगबुरू महिला समिति, जन वितरण प्रणाली का सरकारी चावल है जिसे कालाबाजारी करने के लिए बाहर ले जाया जा रहा है। पिकऑप भेन संख्या JH05 AR-9682 का चालक भेन छोड़कर कही भाग गया है जिससे यह स्पष्ट है कि मारांगबुरू महिला समिति, जन वितरण प्रणाली दुकान लाईसेन्स नं0–03/12 के अध्यक्ष–श्रीमति सुन्दरी सरदार, सचिव–श्रीमति सुमिता सरदार तथा उपाध्यक्ष–श्रीमति सरोला सरदार, वाहन चालक एवं वाहन मालिक के मिली भगत से सरकारी चावल का कालाबाजारी कर रहे है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा–7 के अन्तर्गत संज्ञेय अपराध है। तत्पश्चात दो स्वतंत्र गवाहों के समक्ष उक्त सामग्रियों का विधिवत जप्ती सूची तैयार कर जप्त खाद्यान्न पिन्टु सरदार, पे0–स्व0 जीतेन सरदार, ग्राम–हरीडीह, थाना–कोवाली को जिम्मेनामा पर दिया गया है।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर से प्राप्त उपरोक्त पत्र के साथ संलग्नित थाना प्रतिवेदन, जप्ती सूची, विपक्षी सदस्यों के द्वारा समर्पित कारणपृच्छा एवं अभिलेख में उपलब्ध सम्पूर्ण कागजातों का अवलोकन एवं अध्ययन किया, जिससे स्पष्ट होता है कि विपक्षी सदस्यों सरकारी चावल के कालाबाजारी में लिप्त है तथा उनके द्वारा प्रस्तुत कारणपृच्छा भ्रामक, तथ्यहीन एवं मनगढ़न्त एवं सत्य से परे है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में कोवाली थाना काण्ड सं0–36/15 दिनांक–08.10.2015 में जप्त पिकऑप भेन सं0 JH05 AR-9682 एवं उक्त पिकऑप भेन पर लदा 46 प्लास्टिक के बोरा में चावल प्रत्येक बोरा में करीब 50 (पचास) किलो चावल अधिग्रहित किया जाता है। आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर/अनुमण्डल पदाधिकारी, धालभूम, जमशेदपुर तथा थाना प्रभारी, कोवाली थाना को भेजे।

विधि–व्यवस्था एवं अन्य कार्यो में व्यस्तता के कारण आदेश ससमय पारित नही किया जा सका।

(लेखापित एवं संशोधित)

Amit 12.9.16
उपायुक्त,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

Amit 12.9.16
उपायुक्त
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

C
To all concerned
vide memo no. 1772(B)/2
dt. 19/09/16.